बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.सं. / 60 / 2022– 1049

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 08/12/2022

विषय – कैमूर जिलान्तर्गत NH-219 (मोहनियाँ–भभुआ–चैनपुर–यू0पी0 बोर्डर तक) 40.46–46.80 कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 8.00 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि कैमूर जिलान्तर्गत NH-219 (मोहनियाँ–भभुआ–चैनपुर–यू0पी0 बोर्डर तक) 40.46–46.80 कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 8.00 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, औरंगाबाद का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 400 (ई०) दिनांक 31.12.1996 द्वारा ''सुरक्षित वन'' के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 8.00 हे० वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.1 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 8.00 हे० वन भूमि का अपयोजन होना है। निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना के ज्ञापांक 1588 दिनांक 07.11.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना के आलोक में पारियोजना निर्माण के क्रम में कुल 226 वृक्ष प्रभावित होगें जिसमें से परियोजना निर्माण के क्रम में 90 वृक्षों का पातन एवं 136 वृक्षों का पुनर्स्थापन प्रस्तावित किया गया है।

4. अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परियोजना निर्माण क्षेत्र कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी से लगभग 13 कि0मी0 दूर है।

5. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।

6. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 8.00 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 16 हे० अवकृष्ट वन भूमि को कैमूर वन प्रमंडल अन्तर्गत चैनपुर वन प्रक्षेत्र के मझियागाँवा (PF) को चिन्हित कर दस वर्षीय वृक्षारोपण प्राक्कलन तैयार किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

7. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 8.00 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 76,62,240/– (रूपये छियतहर लाख बासठ हजार दौ सौ चालीस) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 8.00 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये कैमूर वन प्रमंडलन्तर्गत 16.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 43,28,904/– (रूपये तैतालीस लाख अठाईस हजार नौ सौ चार) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है, के आलोक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अद्यतन मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1492/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./60/2022– 1049 दिनांक– 08/12/2022

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, औरंगाबाद/वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/12/22

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

कैमूर जिलान्तर्गत NH-219 (मोहनियाँ–भभुआ–चैनपुर–यू0पी0 बोर्डर तक) 40.46–46.80 कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 8.00 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट–

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वन भूमि का जियों रेफेरेन्स मैप	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II	संलग्न।
6	वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
7	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
8	जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र	संलग्न।
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।	संलग्न।
10	वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है से संबंधित प्रमाण पत्र	संलग्न।
11	वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III	संलग्न।
12	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV	संलग्न।

8/12/22

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन न०–08986153143

ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com